संख्या-2/2015/445/43-2-2014-15/2(2)/03 टीसी

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग 2 लखनऊ : दिनांक 18 मार्च, 2015

विषय: - शासन स्तर पर अनुभाग अधिकारी को पदेन जन सूचना अधिकारी नामित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-977/43-2-2007-15/2(2)/03 टीसी 18, दिनांक 23 अप्रैल, 2007 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-5 (1) के अन्तर्गत जन सूचना अधिकारी नामित किये जाने के निर्देश ज्ञापित किये गये हैं।

2. इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-5 (1) में जन सूचना अधिकारी नामित किये जाने हेतु कोई स्तर निर्धारित नहीं है फिर भी शासन स्तर पर प्रत्येक विभागों में अनु सचिव या उप सचिव को सामान्यतया जन सूचना अधिकारी नामित किया गया है, जबकि समस्त सूचनाऐं उसके सीधे नियंत्रण में नहीं रहती है, बल्कि सूचना सूचना से संबंधित दस्तावेज/पत्रावली आदि का नियंत्रण शासन स्तर पर गठित प्रत्येक अनुभागों के अनुभाग अधिकारी में निहित है।

3. यह उल्लेखनीय है कि सचिवालय मैनुअल के प्रस्तर-164 में अनुभाग अधिकारी को "अशासकीय पत्र" निर्गत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

4. अत: उक्त स्थिति के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आवेदकों को समय से सूचना उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से सम्यक विचारोपरान्त शासन स्तर पर अनुभाग अधिकारी को पदेन जन सूचना अधिकारी नामित किये जाने का निर्णय लिया गया है। ऐसे अनुभाग जहां अनुभाग अधिकारी का पद रिक्त है, वहां सूचना का अधिकार से संबंधित प्रकरणों का निस्तारण जैसी भी स्थिति हो, अनु सचिव / उप सचिव द्वारा किया जायेगा। उक्त से संबंधित शासन स्तर पर औपचारिक विभागीय आदेश शासन के समस्त विभागों द्वारा पृथक से निर्गत किये जायेगें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. सूचना का अधिकार के अन्तर्गत जन सूचना अधिकारी के रूप में अनुभाग अधिकारी द्वारा आवेदकों को सूचना का उत्तर देने या किसी अन्य विभाग/अनुभाग को सूचना अन्तरण "अशासकीय पत्र" के माध्यम से किया जायेगा।

6. सूचना का अधिकार से संबंधित कार्य हेतु उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन/भत्ता देय नहीं होगा। यह कार्य दैनिक सामान्य कार्य के अन्तर्गत होगा।

7. प्रत्येक अनुभागों के प्रभारी अधिकारी जनसूचना से संबंधित प्रकरणों के समन्वय अधिकारी होंगे एवं प्रत्येक माह उनके द्वारा समीक्षा करके जनसूचना से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण की स्थिति अपने उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत की जायेगी।

भवदीय,

आलोक रंजन
मुख्य सचिव।

संख्या-2/2015/445(1)/43-2-2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. सचिव, राज्य सूचना आयोग उ0प्र0 इन्दिरा भवन, लखनऊ।
4. संयुक्त निदेशक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ
5. उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त जन सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी।
6. उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ
8. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

एस0 एन0 शुक्ल
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।